

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महुआ।

पटना, दिनांक:- 28-07-2026

विषय:- तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर अंतर्गत जलालपुर वितरणी के कि0मी0 10.97 (वि0दू0 36.00) से कि0मी0 13.72 (वि0दू0 45.00) तक पथ निर्माण कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका 876 दिनांक 21.05.2026

महाशय,

तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर अंतर्गत जलालपुर वितरणी के कि0मी0 10.97 (वि0दू0 36.00) से कि0मी0 13.72 (वि0दू0 45.00) तक पथ निर्माण कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् समीक्षोपरांत विषयक कार्य हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

- (i) नहर के मूल स्वरूप यथा रूपांकित सेक्शन में किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा छेड़-छाड़ नहीं किया जाय।
- (ii) नहर सेवापथ के मूल डिजाइन सेक्शन को यथावत् रखते हुये पथ निर्माण का कार्य कराया जाय।
- (iii) नहर बाँध पर कार्य कराये जाने के कारण किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी मरम्मत/सुरक्षा पर होने वाले व्यय की जिम्मेवारी योजना प्राधिकार की होगी।
- (iv) कार्य के दौरान नहर द्वारा किए जा रहे पटवन को किसी भी परिस्थिति में अवरुद्ध नहीं किया जाय।
- (v) निर्माण कार्य के समय नहर से संबंधित कार्यपालक अभियंता को निश्चित रूप से ससमय सूचना दी जाय ताकि नहर के रूपांकित सेक्शन आदि की जाँच आवश्यकतानुसार समय-समय पर उनके द्वारा की जा सके।
- (vi) जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा।
- (vii) कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल से अनावश्यक सामग्रियों मलवा आदि को हटाने एवं साफ-सफाई की पूर्ण जिम्मेवारी कार्य कराने वाले प्राधिकार/विभाग की होगी।
- (viii) उक्त निर्माण कार्य से विभागीय स्वामित्व किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा।
- (ix) नहर के बाँध पर जल संसाधन विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य तरह का कार्य कराया जा सकेगा एवं उपयोग का अधिकार जल संसाधन विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (x) कार्य के दौरान नहर के सेवापथ पर आवागमन को बंद नहीं किया जायेगा।

✓

(xi) उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्य को अवैध माना जायेगा तथा नियमानुकूल कार्रवाई की गयी।

विश्वासभाजन



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक:- मो02-मोतिहारी-115/2025- 1548

/पटना, दिनांक: 28-07-2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित शर्तों का अनुपालन मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे।



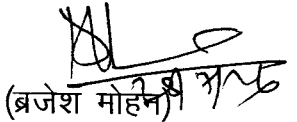
(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक:- मो02-मोतिहारी-115/2025- 1548

/पटना, दिनांक: 28-07-2026

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।



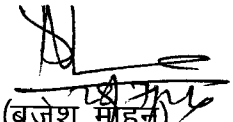
(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक:- मो02-मोतिहारी-115/2025- 1548

/पटना, दिनांक: 28-07-2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)